तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/5/24	पत्रावली पेश। अप्रार्थीगण 1 ता 9 बावजूद तामील/सूचना के अनुपस्थित है। बार २ आवाजे दिलवाई गई। अनु० रहे है। अत: अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक - 21/06/2024 को पेश हो।	
21/6/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप० है। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 28/06/2024 को पेश हो।	
28/6/24	पत्रावली पेश। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 72 खसरा संख्या 2307 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना प्रमाणित आया है। अप्रार्थी संख्या 1,2,6,7 द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भूमि खाता संख्या 72 खसरा संख्या 2307 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत स्वीकार योग्य है। –: आदेश :– प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आलोक में आदेश दिए जाते है कि विवादित भूमि खाता संख्या 72 खसरा संख्या 2307 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा की सीमा से लगती भूमि खसरा संख्या 2717/2309, 2315 के पडोसी काश्तकारन को सूचित कराया जाकर पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। सम्बन्धित भू0अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी करने से कम से कम 3 दिन पूर्व	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... हुकम की ... में जारी ...
	समस्त हितबद्ध पडोसियान एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। उक्त आदेश की पालना के लिए पत्थरगढी फीस नियमानुसार प्रार्थी से राजकोष में जरिए चालान निर्धारित मद में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	